

आवास की राशि भुगतान के लिए रोजगार सहायक ने हितग्राही से ली रिश्वत

सरपंच-सचिव की स्वीकृति के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई, समझौते के बाद भी नहीं दी रायि

माही का गूंज , पेटलावद/करवड

विकास खण्ड पटलावद को ग्राम पचायत करवाई में कुछ माह पूर्व रोजगार सहायक द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्राम सुल्तानपूरा के हितग्राहियों को राशि के भुगतान के 15 हजार रुपये प्रति हितग्राही से रिश्वत के रूप में बसुली के आरोप लगा कर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसकी जाँच के बाद मामले में रोजगार सहायक द्वारा राशि लिया जाना पाया भी गया था लेकिन रोजगार सहायक ने सभी शिकायतकर्ताओं से समझौता कर राशि वापस देने का वादा किया था, जिस पर शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायत वापस ले ली लेकिन राशि नहीं दी ।

पितृ की शिकायत

शिकायत खत्म कर कार्यवाही से बचने के लिए ग्राम पंचायत करवड़ की रोजगार सहायक संगीत राकेश सिनम ने हितग्राहियों से समझौता कर राशि का भुगतान करने का तो कह दिया, लेकिन भुगतान नहीं किया जिसपर जनपद सीरीजों पेटलावट को दोबारा शिकायत दर्ज करवाई है। ग्राम सुलानपुरा के पुला कालू सोलंकी और हिरजी नानजी सोलंकी ने शिकायत में बताया कि, हमारे नाम पर भारत शासन की योजना में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ, उक्त आवास स्वीकृत होने पर आवास की राशि में खाते में डालने के लिये रोजगार सहायक संगीता सीनम द्वारा हमसे पन्द्रह हजार रुपये लिए हैं इस बाबद जनसुनवाई में जिला कलेक्टर के समक्ष शिकायत करने पर रोजगार सहायक संगीता सीनम द्वारा हमको धमकी दी जा रही है कि, शासन की किसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ग्राम पंचायत के अन्य हितग्राहीयों से भी आवास स्वीकृति के रूपये लिये गए हैं।

**सरपंच-साचव क बयान में शारीर वसूलन का पुष्ट ,
दोबारा शिकायत पर हुआ बड़ा खुलासा**

रोजगार सहायता द्वारा त्रिपुरा राज्य ने यो नियमनाना नियम लिया है। जिसकी जांच में ग्राम पंचायत के सरपंच(प्रधान) और सचिव द्वारा भी रोजगार सहायता द्वारा आवास की किश्त के भुगतान के लिए राशि लेने की बात स्वीकार की थी, जिसका खुलासा मामले में दोबारा शिकायत में हुआ। गुंज के हाथ दिनांक 27 नवम्बर 2021 का एक पत्र शिकायतकर्ता के माध्यम से लगा है जो कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी पेटलावद की ओर कार्यवाही के लिए जिला सीओ झाबुआ की ओर प्रेषित किया गया था। जिसकी प्रतिलिपि जिला कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद के साथ शिकायतकर्ता हिरजी सोलंकी को भी भेजा गया था। पत्र क्रमांक/आवास/2021/3275 में बताया कि, रोजगार सहायता संगीता सिनम द्वारा आवास की राशि के जियो टैग के लिए राशि की माग की शिकायत की गई, जिसमें ग्राम

अतिथि शिक्षको, प्रभारियों ने

ज्य शिक्षा केंद्र भोप



का प्रदर्शन किया एवं टीएमएल उपयोग के पर्यादे और कैसे उपयोग करना बताया। श्रीमती रजनी डामोर एवं मुकेश बैरागी द्वारा बनाए गए टीएमएल की सराहना की गई। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन तरुण बैरागी द्वारा किया गया।

निर्देशानुसार उ.मा.वि. संकुल सारंगी पर
टीएमएल मेले का आयोजन जन शिक्षक
राक्षण शर्मा एवं धिरजी डामर द्वारा मां
ससरखती की पूजा अर्चना कर किया गया।
संकुल के विभिन्न विद्यालयों से शिक्षकों

ਏਕ ਮਿਆਨ ਮੁਹੱਈ ਦਾ ਤਲਵਾਰ ...

**प्रभारी प्राचार्य ने लिया एफलत्य का चार्ज , योगेन्द्र प्रसाद ने
मोपाल के आदेश का हवाला देकर चार्ज देने से किया मना**


ਇਕਲਾਵਿ ਰਕੂਲ ਮਾਮਲਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਥ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਿਖੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਵਾਂ।

ਪੰਜਾਬ, ਪਿੰਡ ਮੁਹੱਲਾ

पश्चिम नाह प्रदर्श के राज्यपाल नू नाह पटल के ज्ञानुआ दौर के दैरान पेटलावद विकास खण्ड के एकलव्य आवसीय परिसर में चल रहे कार्यक्रम के दैरान स्कूल की छात्राओं ने छात्रवास की अव्यवस्था, घटिया खाना और स्कूल परिसर में पथर बिनवाने के आरोप राज्यपाल के सामने लगाए थे। जिसके बाद पहले होस्टल अधिकारी और पिर प्राचार्य योगेंद्र प्रसाद को कमिशनर इंदौर द्वारा निलंबित कर दिया गया था। प्राचार्य के निलंबन के दो दिन बाद भोपाल मंत्रालय से एक और आदेश आया जिसमे प्राचार्य प्रसाद का स्थानांतरण मंडला जिला कर दिया गया था। जिला प्रशासन ने निलंबित प्राचार्य के स्थान पर संस्था का प्रभार निति न परमार को दे दिया।

**स्कूली छात्राओं को उतारा सड़क पर,
प्राचार्य ने प्रशासन पर बनवाया दबाव**

राज्यपाल के सामने संस्था की पोल खोलने वाले छात्र-छात्राओं ने कुछ ही दिन में पासा पलटते हुए सड़क पर उत्तर कर चक्रा जाम कर संस्था प्राचार्य पर लगाये आरोप से बदल गए। हालांकि पूरे मामले में प्राचार्य प्रसाद की भूमिका संदिग्ध थी और पूरा प्रदर्शन उनके द्वारा ही प्रयोजित नजर आ रहा था। क्योंकि जिस संस्था में बच्चों सहित किसी को भी प्रवेश और बहार निकलने के लिए मशक्त करनी पड़ती है, वहाँ के बच्चे बिना प्राचार्य की अनुमति के सड़क पर आए ये मुमकिन नहीं। ज्ञापन के दौरान भी प्राचार्य बच्चों को काम हो गया अंदर चलो कहते नजर आये। प्राचार्य प्रसाद का किसी भी प्रकार की



जिला कलेक्टर जिम्मेदार ...?

राज्यपाल के सामने संस्था की पोल खोलने वाले छात्र-छात्राओं ने कुछ ही दिन में पासा पलटते हुए सड़क पर उत्तर कर चक्का जाम कर संस्था प्राचार्य पर लगाये आरोप से बदल गए। हालांकि पूरे मामले में प्राचार्य प्रसाद की भूमिका संदिग्ध थी और पूरा प्रदर्शन उनके द्वारा ही प्रायोजित नजर आ रहा था। क्योंकि जिस संस्था में बच्चों सहित किसी को भी प्रवेश और बहार निकलने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, वहाँ के बच्चे बिना प्राचार्य की अनुमति के सड़क पर आ रहे मुमकिन नहीं। ज्ञापन के दौरान भी प्राचार्य बच्चों को काम हो गया अंदर चलो कहते नजर आये। प्राचार्य प्रसाद का किसी भी प्रकार की घटावार का स्थान में दाता निलंबित प्राचार्य संस्था प्रानाई प्राचार्य नितिन परमार ने चार्ज लेने का तो निलंबित प्राचार्य प्रसाद ने एकलब्द संस्था में ही कार्य करने के अपने-अपने पत्र खण्डशिक्षा अधिकारी को किया प्रेषित।

ਪਾਲਾਈ ਪਾਚਾਰੀ ਨਿਤਿਕ ਪਾਹਾਂ ਦੇ ਘਰ੍ਗ ਲੇਨੇ ਕਾ ਗੇ ਜਿਲ੍ਹਾਭਿਤ ਪਾਚਾਰੀ ਪਾਸਾਟ ਦੇ ਏਕਲਲਾ ਸੰਜਾ ਮੋਹੀ ਕਾਰੀ ਕਾਰੀ ਕਾਰੀ ਦੇ ਆਡੇ-ਆਡੇ ਪਾਂ ਖਾਇ ਬਿਆ ਅਦਿਕਾਰੀ ਕੋ ਕਿਵਾ ਪੇਸ਼ਿ

राज्यपाल के सामने संस्था की पोल खोलने वाले छात्र-छात्राओं ने कुछ ही दिन में पासा पलटते हुए सड़क पर उत्तर कर चक्का जाम कर संस्था प्राचार्य पर लगाये आरोप से बदल गए। हालांकि पूरे मामले में प्राचार्य प्रसाद की भूमिका सदिक्षणीय थी और पूरा प्रदर्शन उनके द्वारा ही प्रायोजित नजर आ रहा था।

मेरे सेवा देते रहने की सूचना खंड शिक्षा कार्यालय को देकर प्रशासन को लिखित में भेज दी।

अधिकारी एक दूसरे की खोल रहे पोल, भष्टाचार आ रहा सामने.

राज्यपाल के सामने हुए विवाद ने अब प्रशासन के अधिकारियों के बीच के आपसी विवाद को जन्म दे दिया, दोनों अधिकारी अब एक-दूसरे की पोल खोलने पर उतारू हैं, जिससे बड़े भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं। प्राचार्य प्रसाद ने सहायक आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाते हुए बिना सापमी दिए फर्जी भुगतान करने का आरोप लगाया है। बिल स्वीकृत नहीं कर सहायक आयुक्त द्वारा द्वेषता रखते हुए जांच में गुरमाह किया है। वही सहायक आयुक्त प्रशांत आर्य का कहना है कि, संस्था में आने वाली किसी भी सामग्री की खरीदी संस्था द्वारा ही की जाती है, उसी के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है। हमारा कार्य भुगतान करने का है हमारे द्वारा किसी बिल के भुगतान के लिए दबाव नहीं बनाया गया। जो भी हो इस तरह से संस्था से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, इसमें सरकार की भारी किपकिरी हो रही हैं। प्राचार्य के निलंबन आदेश विभाग के साथ-साथ डाक द्वारा भी संस्था में पहुँच चुके हैं इसके बाद भी प्राचार्य प्रसाद ने संस्था नहीं छोड़ी और उस आदेश के परिपालन में कार्य किया जा रहा है जो भोपाल से आया है।

उसकी जांच स्थानीय प्रशासन और संभाग की टीम द्वारा की गई, जिसके आधार पर निलंबन किया गया है। सारी स्थितियों से विभाग को अवगत करवाया जा रहा है, प्राचार्य के फर्जी बिल भुगतान मामले में जिला कलेक्टर का कहना है, इस प्रकार की कोई लिखित शिकायत मेरे पास नहीं आई है न ही प्राचार्य ने इस विषय में कोई बात नहीं हुई है, यदि शिकायत आती है तो जांच दल बना कर इसकी भी जांच की जाएगी। आने वाले दिनों में इस मामले में और पेच प्लॉटों और राजनीति भी जमकर होगी पिलहाल प्राचार्य योगेंद्र प्रसाद सरकार और प्रशासन पर भारी पड़ रहे हैं।

